ISSN 2454-5554
An International Peer Reviewed & Referred
INTERNATIONAL JOURNAL
OF EDUCATIONAL RESEARCH STUDIES

देहरादून जिले के माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों की अध्यापन के प्रति अभिवृत्ति का एक अध्ययन।

बिनीता फोनिया[1] & प्रो0 सुनीता गोदियाल[2]

**शोध छात्रा (शिक्षा विभाग), हे.न.ब.गढवाल (केन्द्रिय) विश्वविद्यालय, स्वामी रामतीर्थ परिसर बादशाहीथौल टिहरी गढवाल।*

***प्रोफेसर (शिक्षा विभाग), हे.न.ब.गढवाल (केन्द्रिय) विश्वविद्यालय, स्वामी रामतीर्थ परिसर बादशाहीथौल टिहरी गढवाल।*

सरांश

शिक्षा के स्वरूप में माध्यमिक शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। माध्यमिक शिक्षा समूची शिक्षा प्रणाली की रीढ की हड्डी के समान है। माध्यमिक शिक्षा राष्ट्र के तकनीकी तथा सांस्कृतिक जीवन पर विशेष प्रभाव डालती है। यह शिक्षा उन नवयुवकों को शिक्षित करती है जो देश के समाजिक निर्माण तथा आर्थिक विकास में प्रभावशाली हो सके। ऐसी स्थिति में माध्यमिक स्तर के अध्यापकों की भूमिका के निर्वाह की अनिवार्यता स्वतः ही सुस्पष्ट हो जाती है। अध्यापकों की भूमिका निर्वाह प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से उनके अध्यापन के प्रति अभिवृत्ति पर निर्भर करता है। प्रस्तुत शोधपत्र ''देहरादून जिले के माध्यमिक स्तर के अध्यापकों की अध्यापन के प्रति अभिवृत्ति का एक अध्ययन,'' प्राथमिक आंकड़ों पर आधारित है, जिसमें सर्वेक्षण विधि द्वारा डॉ. एस. पी. आहलूवालिया द्वारा निर्मित शिक्षक अभिवृत्ति परिसूची (टी.ए.आई.) प्रश्नावली का प्रयोग किया गया है। शोध में माध्यमिक स्तर के अन्तर्गत सरकारी व निजी विद्यालयों के 100 शिक्षकों को प्रतिदर्श के रूप में लिया गया है। प्रस्तुत शोधपत्र देहरादून जिले के माध्यमिक स्तर के अध्यापकों की अध्यापन के प्रति अभिवृत्ति का एक तुलनात्मक अध्ययन एवं इसमें वांछनीय सुधारात्मक उपायों पर विचार करने का एक प्रयास है।

विशिष्ट शब्दः *माध्यमिक शिक्षा, अध्यापन के प्रति अभिवृत्ति, सरकारी व निजी विद्यालय।*

प्रस्तावना

समाज तथा शिक्षा–पद्धति दोनों में ही अध्यापक का महत्वपूर्ण स्थान है। शैक्षिक कार्यक्रमों की सफलता अध्यापक के व्यवहार, कार्यप्रणाली एवं योग्यताओं पर निर्भर करती है।

अध्यापक नयी पीढी को सामाजिक तत्वों की जानकारी देकर उनके दृष्टिकोण को जागृत कर सकता है। शिक्षण केवल सम्बन्धित विषय में अर्जित ज्ञान एवं अध्यापन की कुशलता का ही प्रतिफल नहीं है, क्योंकि यह एक यांत्रिक प्रक्रिया मात्र नहीं है। अध्यापक के व्यक्तित्व का, अर्थात् उसकी अभिवृत्ति, उसके मूल्य एवं अपने जीवन के प्रति उसकी अपनी अनुभूति का छात्रों के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अध्यापक अगर शिक्षण कार्य को समर्पित भाव से करें तो वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति सरलता से की जा सकती है।

किसी भी कार्य को करने में व्यक्ति की अभिवृत्ति का प्रमुख स्थान होता है, क्योंकि यदि व्यक्ति की अभिवृत्ति सकारात्मक होती है तो अच्छे निष्कर्ष प्राप्त होते है और यदि अभिवृत्ति नकारात्मक है तो निष्कर्ष अच्छे प्राप्त नहीं हो सकते है। व्यक्ति जो कार्य करता है, उसके प्रति उसकी तीव्र सकारात्मक अभिवृत्ति उसके कार्य की गुणवत्ता को उच्च बना देती है। इसके विपरीत यह बात भी सत्य है कि अपने कार्य के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति उस कार्य की गुणवत्ता को निम्न बना देती है। यह बात जहां सभी व्यवसाय के संदर्भ में सही है, वहीं शिक्षण में यह विशेष रूप से लागू होती है, क्योंकि इसके द्वारा जीवन एवं समाज का निर्माण होता है। अतः यह जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है कि अध्यापक के अपने शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति सकारात्मक है अथवा नकारात्मक। इसके साथ उनकी शिक्षण के प्रति अनुकूल अभिवृत्ति जागृत करके उनका ध्यान शिक्षण के प्रति आकृष्ट किया जा सकता है। इस अध्ययन में अध्यापन के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन इस आशा एवं विश्वास के साथ किया जा रहा है कि शोध के निष्कर्ष शिक्षा व्यवस्था के विभिन्न अभिकरणों के लिए उपयोगी होगें।

अध्यापन के प्रति अभिवृत्ति में पूर्व में काफी शोधकार्य किये गये है। आर. पी. सिंह एवं एम. दास (1987) ने अपने शोध अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि पूर्व उच्चतर माध्यमिक तथा उत्तर उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों की सृजनात्मक अध्यापन के प्रति प्रतिकूल अभिवृत्ति पायी गयी। जी. रामचन्द्रन (1991) ने अपने अध्ययन से यह निष्कर्ष प्राप्त किये कि दूरस्थ शिक्षा शिक्षक–प्रशिक्षणार्थियों की तुलना में, संस्थागत शिक्षक–प्रशिक्षणार्थियों की अध्यापन के प्रति अधिक अनुकूल अभिवृत्ति थी। तपोधन (1991) ने अपने अध्ययन में यह निष्कर्ष पाया कि लिंग, क्षेत्र तथा जाति का व्यावसायिक अभिवृत्ति पर मुख्य प्रभाव पड़ता है जबकि योग्यता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। श्रीनिवासन (1992) ने अपने शोध अध्ययन में यह

निष्कर्ष निकाला कि सरकारी विद्यालयों के अध्यापकों की अध्यापन व्यवसाय के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर है।

प्रस्तुत शोध पत्र में उत्तराखण्ड राज्य के देहरादून जिले के माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् अध्यापकों की अध्यापन के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है।

उद्देश्य

1. सरकारी एवं निजी माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की अध्यापन के प्रति अभिवृत्ति में अन्तर ज्ञात करना।
2. माध्यमिक विद्यालयों के स्थायी अध्यापकों एवं अस्थायी अध्यापकों की अध्यापन के प्रति अभिवृत्ति में अन्तर ज्ञात करना।
3. माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं की अध्यापन के प्रति अभिवृत्ति में अन्तर ज्ञात करना।

परिकल्पना

1. सरकारी एवं निजी माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की अध्यापन के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नहीं है।
2. माध्यमिक विद्यालयों के स्थायी अध्यापकों एवं अस्थायी अध्यापकों की अध्यापन के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नहीं है।
3. माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं की अध्यापन के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नहीं है।

न्यादर्श

प्रस्तुत अध्ययन में शोधकर्त्री ने साधारण अनियमितीकरण न्यादर्शन विधि का प्रयोग किया गया है। न्यादर्श में कुल 100 अध्यापकों का चयन किया गया है, जिसमें 50 अध्यापक सरकारी

माध्यमिक विद्यालय एवं 50 अध्यापक निजी माध्यमिक विद्यालय से चुनें गये है। प्रस्तुत शोध हेतु वर्णनात्मक (सर्वेक्षण) शोध विधि का प्रयोग किया गया है।

प्रस्तुत उपकरण

इस अध्ययन में डॉ. एस. पी. आहलूवालिया द्वारा निर्मित शिक्षक अभिवृत्ति परिसूची (टी. ए.आई.) प्रश्नावली का प्रयोग किया गया है।

सांख्यिकीय विश्लेषण एवं व्याख्या

प्रदत्तों के विश्लेषण करने हेतु मध्यमान, प्रमाणिक विचलन तथा टी–टेस्ट का प्रयोग किया गया है। सांख्यिकीय विश्लेषण करने पर निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए हैं–

तालिका 1.1 सरकारी एवं निजी माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की अध्यापन के प्रति अभिवृत्ति में अन्तर का सारांश।

विद्यालय के प्रकार	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी. मूल्य	सार्थकता स्तर (0.05 स्तर)
सरकारी विद्यालय के अध्यापक	50	250.74	28.84	1.91	सार्थक नहीं
निजी विद्यालय के अध्यापक	50	238.58	33.77		

df-98

तालिका 1.1 से स्पष्ट है कि टी का मान 1.91 है। टी तालिका में 98 स्वतंत्रता के चर पर 0.05 सार्थकता स्तर पर सार्थक होने के लिए मान 1.98 होना चाहिए। किन्तु इस अध्ययन में प्राप्त मूल्य तालिका मूल्य से कम है। इसका अर्थ है कि सरकारी एवं निजी माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की अध्यापन के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नहीं है। अतः शून्य परिकल्पना कि ''सरकारी एवं निजी माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की अध्यापन के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नहीं है'', को 0.05 सार्थकता स्तर पर स्वीकृत किया जाता है।

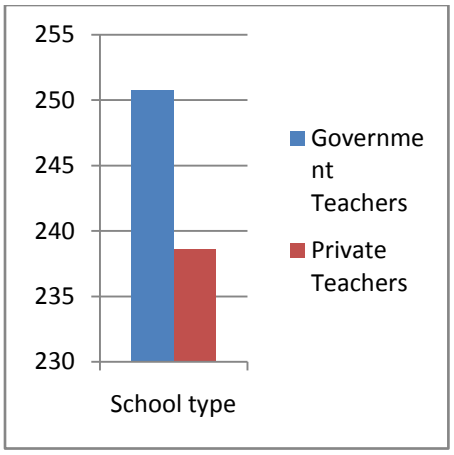

Graph-1

तालिका 1.2 माध्यमिक विद्यालयों के स्थायी अध्यापकों एवं अस्थायी अध्यापकों की अध्यापन के प्रति अभिवृत्ति में अन्तर का सारांश।

नियुक्ति के प्रकार	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी–मूल्य	सार्थकता स्तर (0.05 स्तर)
स्थायी अध्यापक	42	247.81	32.28	0.86	सार्थक नहीं
अस्थायी अध्यापक	58	242.38	31.59		

df-98

तालिका 1.2 से स्पष्ट है कि 'टी' का मान 0.86 है। टी–तालिका में 98 स्वतंत्रता के चर पर 0.05 सार्थकता स्तर पर सार्थक होने के लिए मान 1.98 होना चाहिए, किन्तु इस अध्ययन में प्राप्त मूल्य तालिका मूल्य से कम है। इसका अर्थ है कि माध्यमिक विद्यालयों के स्थायी अध्यापकों एवं अस्थायी अध्यापकों की अध्यापन के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नहीं है। अतः शून्य परिकल्पना कि ''माध्यमिक विद्यालयों के स्थायी अध्यापकों एवं अस्थायी अध्यापकों की अध्यापन के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नहीं है'', को 0.05 सार्थकता स्तर पर स्वीकृत किया जाता है।

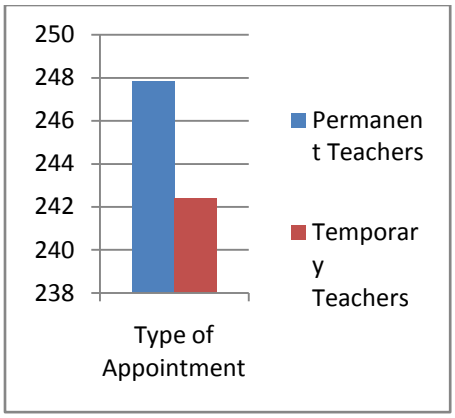

Graph-2

तालिका 1.3माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं की अध्यापन के प्रति अभिवृत्ति में अन्तर का सारांश।

लिंग	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी–मूल्य	सार्थकता स्तर (0.05 स्तर)
अध्यापक	48	235.61	36.06	2.73	सार्थक है
अध्यापिकाएं	52	252.68	25.30		

df-98

तालिका 1.3 से स्पष्ट है कि टी का मान 2.73 है। टी–तालिका में 98 स्वतंत्रता के चर पर 0.05 सार्थकता स्तर पर सार्थक होने के लिए मान 1.98 होना चाहिए। इस अध्ययन में प्राप्त मूल्य तालिका मूल्य से अधिक है। इसका अर्थ है कि माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं की अध्यापन के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर है। अतः शून्य परिकल्पना कि ''माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं की अध्यापन के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नहीं है'', को 0.05 सार्थकता स्तर पर अस्वीकृत किया जाता है।

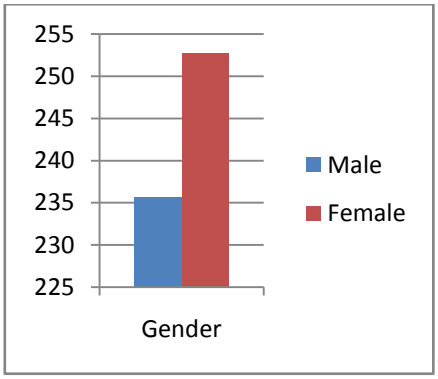

Graph-3

निष्कर्षः उपर्युक्त तालिकाओं के विश्लेषण करने के उपरान्त निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुये हैं–

1. 'सरकारी एवं निजी माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की अध्यापन के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया है, जिसका तात्पर्य है कि 'सरकारी एवं निजी माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापक अध्यापन के प्रति समान रूप से अभिवृत्ति रखते हैं तथा विद्यालय का सरकारी एवं निजी क्षेत्र का होने से अध्यापकों की अध्यापन के प्रति अभिवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
2. माध्यमिक विद्यालयों के स्थायी अध्यापकों एवं अस्थायी अध्यापकों की अध्यापन के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नहीं पाया गया है। जिसका तात्पर्य है कि अध्यापकों के स्थायी एवं अस्थायी कार्य प्रकृति का भी अध्यापकों की अध्यापन के प्रति अभिवृत्ति पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है तथा वे एक समान रूप से अध्यापन के प्रति रूचि रखते हैं।
3. माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं की अध्यापन के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर पाया गया है। जिसका स्पष्ट तात्पर्य है कि माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत् अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं की अध्यापन के प्रति अभिवृत्ति पर उनके महिला व पुरूष होने का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। इसका प्रमुख कारण महिला अध्यापिकाओं की अध्यापन के प्रति नैसर्गिक रूचि व अध्यापन व्यवसाय के प्रति समर्पण का भाव भी हो सकता है, जबकि महिला अध्यापिकाओं की तुलना में पुरूष अध्यापकों में अध्यापन व्यवसाय में अधिक रूचि देखने को कम ही मिलती है।

सुझावः

1) अध्यापन कार्य हेतु अध्यापकों को पूर्ण सुविधायें तथा शिक्षण सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि शिक्षण में रोचकता उत्पन्न हो सके। जैसे उनके लिए रहने की व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाऐं आदि उपलब्ध की जानी चाहिए।
2) समाज में अध्यापक की प्रतिष्ठा एवं गरिमा को अत्यधिक आदर दिया जाना चाहिए तथा निजी विद्यालय के अध्यापकों के प्रति समाज में उत्पन्न हीन मनोवृत्तियों मे शीध्र अतिशीध्र परिवर्तन लाया जाना चाहिए।

3) अध्यापकों के सन्तानों के लिए बोर्डिग स्कूल जैसी सुविधाये होनी चाहिए, साथ ही साथ अध्यापकों की सन्तानो को विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए तथा उन्हें पाठ्य सामग्री निःशुल्क प्रदान की जानी चाहिए।

4) अध्यापकों द्वारा विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। निष्ठावान अध्यापकों को उनकी उत्तम सेवा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पारितोषिक प्रदान किया जाना चाहिए।

5) शिक्षक प्रशिक्षण के पश्चात् ही निजी विद्यालयों में योग्य पुरूष एवं महिला को अध्यापन व्यवसाय प्रदान किया जाना चाहिए।

6) सरकारी विद्यालय के अध्यापकों के साथ–साथ अस्थायी एवं निजी विद्यालय के अध्यापकों को भी पूर्ण सुविधाऐं एवं उचित वेतन आदि उपलब्ध किया जाना चाहिए।

संदर्भ

पाठक, पी0डी0.,(1974). भारतीय शिक्षा और उसकी समस्यायें, आगरा : विनोद पुस्तक मन्दिर.

रामचन्द्रन, जी.(1991). एन इनक्वाइरी इनटू दि एट्टीट्यूड़ ऑफ स्टूडेन्ट–टीचर टूवार्ड टीचिंग. फिफ्थ सर्वे ऑफ एजुकेशनल रिसर्च 1988–92. वाल्यूम(2), नई दिल्लीः एन.सी.ई.आर.टी. पृष्ठ–1468.

शर्मा, आर0 ए0.,(2009). शिक्षा अनुसंधान के मूल तत्व एवं शोध प्रक्रिया, मेरठ : आर 0 लाल बुक डिपो.

सिंह, आर.पी. एंड दास, एम.(1989). एट्टीट्यूड़ ऑफ टीचर टूवार्ड क्रीयेटिव लर्निंग एंड टीचिंग. इंडियन एजुकेशनल रिव्यू, वाल्यूम. 24(2):120–23. इन फिफ्थ सर्वे ऑफ एजुकेशनल रिसर्च 1988–92. वाल्यूम(2), नई दिल्लीः एन.सी.ई.आर.टी. पृष्ठ–1488.

श्रीनिवासन, वी.(1992). पर्सेनालिटी ट्रेट्स ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर्स एंड दीयर एट्टीट्यूड़ टूवार्ड टीचिंग. फिफ्थ सर्वे ऑफ एजुकेशनल रिसर्च 1988–92. वाल्यूम(2), नई दिल्लीः एन.सी.ई.आर. टी. पृष्ठ –1491.

तपोधन, एच.एन.(1991). ए स्टडी ऑफ प्रोफेशनल एट्टीट्यूड़ ऑफ सेकेण्डरी स्कूल टीचर्स ऑफ गुजरात स्टेट. फिफ्थ सर्वे ऑफ एजुकेशनल रिसर्च 1988–92. वाल्यूम(2), नई दिल्लीः एन.सी. ई.आर.टी. पृष्ठ–1494.